1/9/01/23

सेवामें,

न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
95/2020	11–08–2020	01.09.2023

उनवान

01. रसीदा उम्र करीब 60 साल पत्नी सलामुदीन कौम मेव फकीर निवासी ग्राम जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) मुख्त्यार आम इदरीश पुत्र नूरशाह जाति फकीर निवासी ग्राम जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादीयां

बनाम

01. जमील पुत्र सलामुदीन जाति फकीर निवासी जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. अलीका डवलपर्स प्रा0लि0 यू.जी.एफ. 11/26 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली जर्ये परचेज मेनेजर मनोज शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा कौम ब्राहमण निवासी 11/26 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली
03. उपपंजीयक महोदय तिजारा अलवर।

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 285/382 रकबा 4 बीघा (1.01 है0) बारानी 1 वाके ग्राम जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर जिसका 1/2 भाग इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 285/382 रकबा 4 बीघा मृतक श्री सलामुदीन पुत्र मामूरशाह कोम फकीर निवासी जोजाका तहसील तिजारा की गैर खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिनका देहान्त हो गया और उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 310 मिन वादियां व प्रतिवादी संख्या 1 जीमल के हक में दर्ज वो स्वीकार हो गया और आराजी का 1/2 भाग मिन वादियां का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 जीमल का रहा और इसी कदर काबिज होकर काश्त करते रहे है। वास्ते मुलाहिजा नकल इंतकाल संख्या 310 संलग्न है। मिन वादियां अनपढ व वृद्व ओरत है जिसे कागजी कार्यवाही का ज्ञान नहीं रहा और प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से साज बाज होकर तन्हा कुल आराजी का अपने नाम से पट्टा जारी कराकर इंतकाल संख्या 320 अपने हकमें दर्ज वो स्वीकार करा लिया जबकि इंतकाल संख्या 320 के कॉलम संख्या 7 में भी मिन वादियां के नाम का अंकन हो रहा है। यह समस्त कार्यवाही पट्टा व इंतकाल इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 ने साजीशी तोर से की है जो 1/2 भाग तक हकूक वादियां के विरूद्व बातिल वो बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 एक चालाक व्यक्ति है कि जिसने इस गलत अंकन के आधार पर आराजी मुतनाजा कुल को प्रतिवादी संख्या 2 को मुन्तकिल कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को केवल मात्र 1/2 भाग ही था शेष 1/2 भाग वादियां का है जिसे बेचान करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कानून कोई अधिकार हासिल नहीं था इसलिये प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय,

तिजारा जिला अलवर राज0।

1 ने जो बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को किया है वो 1/2 भाग तक हकूक वादियां के विरूद्ध बातिल वो सार है जिनके कारण वादिया के अधिकारो पर भारी कुठाराघात होता है इसलिये वादियां स्वयं को विवादित राजी की 1/2 भाग की खातेदार घोषित कराने व हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ साथ स्वयं के नाम 1/2 भाग का अंकन कराने की अधिकारी है। मिन वादिया को इस समस्त कार्यवाही की बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी गत माह जून सन 2020 में प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित आराजी के 1/2 भाग से वादिया को बेदखल करने कब्जा करने का असफल प्रयास किया तो जानकारी हुई। प्रतिवादी संख्या 2 अजखुद इन्द्राज दुरूस्त कराने को तैयार नही है बल्कि दिनांक 15.07.2020 को एलानिया तौर पर कब्जा करने व दीगर लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी है यदि प्रतिवादी अपनी इस बेजा कार्यवाही में सफल हो गया तो वादियां को हर सूरत मे नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अपने अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा इसलिये वादिया प्रति0 को हुक्मइम्तनाई दवामी से पावन्द कराने की अधिकारी है। डिकी इजराय वहक वादीया पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादिया आराजी खसरा नम्वर हाल 285/382 रकवा 4 बीघा (1.01 है0) वाके ग्राम जोजाका तहसील तिजारा की 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार है और इसी कदर हाल जमाबन्दी में वादिया के नाम का अंकन कराया जावें। विवादित आराजी का जो वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के हक में कुल आराजी का कराया है वो 1/2 भाग तक हकूक वादिया वातिल वो वेअसर है तथा उसके आधार पर इन्द्राज वहक प्रतिवादी संख्या 2 निस्फ भाग तक वातिल वो वेअसर है। वादीयां ने सूचि अनुसार दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलव किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 एक फोरमल पक्षकार है कोई राजहित प्रभावित नहीं है।

वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र इदरीश पुत्र नूरशाह जाति फकीर निवासी ग्राम जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर, जलसिंह पुत्र बनवारी जाति बाल्मिक साकिन जोजाका तहसील तिजारा, लीलू पुत्र किशोरी जाति वाल्मिक निवासी जोजाका तहसील तिजारा पेश किये। दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल इंतकाल संख्या 310 (प्रदर्श 1), नकल इंतकाल संख्या 320 (प्रदर्श 2), नकल प्रार्थना पत्र व तकमील व पटवारी रिपोर्ट (प्रदर्श 3), नकल रसीद परत पटवार (प्रदर्श 4), नकल जमाबन्दी संवत् 2045 (प्रदर्श 5), नकल जमाबन्दी संवत् 2057 (प्रदर्श 6), नकल जमाबन्दी संवत् 2065 (प्रदर्श 9), नकल जमाबन्दी संवत् 2069 (प्रदर्श 10), नकल मुख्तयारनामा दिनांक 23.12.2019 (प्रदर्श 11) जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर मनन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 285/382 रकवा 4 बीघा मृतक सलामुदीन पुत्र मामूराह कोम फकीर निवासी जोजाका को गैर खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिसके देहान्त के बाद विरासत इंतकाल संख्या 310 द्वारा वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 भाग दर्ज हुआ। जिसका पट्टा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम करा लिया। जबकि उक्त रकबे में 1/2 भाग वादी का निहित था। जिसका अमल इंतकाल संख्या 320 के कॉलम संख्या 7 में भी हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जो बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया है वह 1/2 वादीयां के हिस्से तक बेअसर है एवं वादी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

सेवामें,

अपने आपको 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी पाया जाता है। दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 285/382 रकबा 4 बीघा (1.01 है0) बारानी 1 वाके ग्राम जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर पर 1/2 भाग से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादी संख्या 1 के नाम 1/2 भाग पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है जिसानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उनके हिस्से से जबरन बेदखल ना करें एवं ना ही कब्जेकाश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, एवं ना ही गलत अमल की आड में आराजी जो रहन बय हिबा से मुन्तकिल करें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)